

अशोक सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

आर 1: उत्तर प्रदेश राज्य

आर 2: रवीन्द्र प्रताप सिंह

(आपराधिक अपील संख्या 4171/2024)

02 अप्रैल 2025

[न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 धारा 138 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2-आरोपी के दोष के समवर्ती निष्कर्षों और परिणामस्वरूप दोषसिद्धि को अपास्त करने में त्रुटि की है।

हेडनोट्स

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 – धारा 138, 139 – धारा 138 के अंतर्गत शिकायतकर्ता पर यह दायित्व नहीं है कि वह प्रारम्भ में यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसके पास अभियुक्त को ऋण देने की वित्तीय क्षमता थी, जब तक कि भेजे गए वैधानिक नोटिस के उत्तर में मामला स्थापित न हो जाए- तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2-आरोपी को ऋण दिया – प्रतिवादी द्वारा पैसा वापस करने के लिए जारी किया गया चेक 'आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया' शीर्षक के साथ अनादरित हो गया-प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ता द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया – शिकायत दर्ज की गई – प्रतिवादी संख्या 2 को विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया – अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश की पुष्टि की गई – उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया – हस्तक्षेप:

धारित किया गया: प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उठाए गए बचाव की सत्यता के संबंध में गंभीर संदेह हैं- यह सच है कि चेक पर हस्ताक्षर स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 के हैं – उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को जिस आधार पर दोषमुक्त किया, उनमें से एक यह था कि अपीलकर्ता उसे ऋण के रूप में दी गई राशि के स्रोत को साबित करने में असमर्थ था- शिकायतकर्ता पर यह दायित्व नहीं है कि वह भुगतान करने की अपनी क्षमता/वित्तीय क्षमता को साबित करे, जिसके लिए कथित तौर पर उसके पक्ष में चेक जारी किया गया है- केवल तभी जब यह आपत्ति उठाई जाती है कि शिकायतकर्ता वित्तीय रूप से इतनी स्थिति में नहीं था कि वह उस राशि का भुगतान कर सके, जिसके बारे में उसने दावा किया है कि उसे अभियुक्त को ऋण के रूप में दिया गया था, तभी शिकायतकर्ता को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने के लिए ठोस सामग्री प्रस्तुत करनी होगी कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी और उसने वास्तव में प्रश्नगत राशि ऋण के रूप में दी थी- अपीलकर्ता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था और जिरह में भी दोहराया था कि उसने बैंक से राशि निकाली थी- प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ता के ऐसे बयान को खारिज करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया - अपीलकर्ता अपना मामला साबित करने में सफल रहा - आक्षेपित आदेश को अपास्त किया गया- हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 की आयु को देखते हुए, उस पर अधिरोपित दण्ड और दोषसिद्धि को बहाल नहीं किया गया - निर्देशानुसार केवल जुर्माना भरने के लिए सजा को संशोधित किया गया। [पैरा 18, 21-23]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138 - शिकायतकर्ता पर सबूत के भार की सीमा - चर्चा की गई- अभियुक्त के पास उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण बचाव बताया गया। [पैरा 15, 16]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 138 - शिकायत की पोषणीयता- प्रतिवादी संख्या 2-आरोपी, भागीदारी फर्म मेसर्स सन एंटरप्राइजेज के भागीदार द्वारा जारी चेक अनादरित हो गया - प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई- प्रतिवादी संख्या 2 ने तर्क दिया कि शिकायत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि चेक जारी करने वाले अर्थात् साझेदारी फर्म मेसर्स सन एंटरप्राइजेज को पक्षकार नहीं बनाया गया है- स्वीकृत।

धारित किया गया: शिकायत स्वीकार्य है क्योंकि चेक पर हस्ताक्षर करने वाले को आरोपी बनाया गया है और वह प्रभारी व्यक्ति भी है - यह कभी नहीं कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 2-आरोपी, मेसर्स सन एंटरप्राइजेज में भागीदार, इसका प्रभारी व्यक्ति नहीं है। [पैरा 20]

उद्धृत केस लॉ

सुनीता पलिता बनाम पंचमी स्टोन क्वैरी [2022] 14 एससीआर 458: (2022) 10 एससीसी 152 - अवधारित किया गया।

अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड [2012] 5 एससीआर 503: (2012) 5 एससीसी 661; अपर्णा ए शाह बनाम शेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड [2013] 7 एससीआर 69: (2013) 8 एससीसी 71; एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला [2005] सप 3 एससीआर 371: (2005) 8 एससीसी 89; बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार [2019] 2 एससीआर 24: (2019) 4 एससीसी 197; राजेश जैन बनाम अजय सिंह [2023] 13 एससीआर 788: (2023) 10 एससीसी 148; किशन राव बनाम शंकरगौड़ा [2018] 5 एससीआर 69: (2018) 8 एससीसी 165; उत्तम राम बनाम देविंदर सिंह हुडन [2019] 13 एससीआर 425: (2019) 10 एससीसी 287; दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा [2024] 8 एससीआर 121: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1899; जॉन के जॉन बनाम टॉम वर्गीस [2007] 11 एससीआर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

287: (2007) 12 एससीसी 714; कृष्ण जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रय जी हेगड़े [2008] 1 एससीआर 605: (2008) 4 एससीसी 54; जी पंकजाक्षी अम्मा बनाम मथाई मैथ्यू (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि (2004) 12 एससीसी 83; रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य [2019] 5 एससीआर 417: (2019) 18 एससीसी 106; मैसर्स एस.एस. प्रोडक्शन बनाम टू पवित्रन प्रशांत, 2024 आईएनएससी 1059 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881.

कीवर्ड की सूची

चेक अनादरित; निधियों का स्रोत; शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता; शिकायतकर्ता पर दायित्व नहीं; कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण; भुगतान रोकना; चेक जारीकर्ता द्वारा भुगतान रोका जाना; चेक जारीकर्ता; पक्षकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया; चेक का हस्ताक्षरकर्ता; भागीदारी फर्म का प्रभारी व्यक्ति; अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया; बिना भुनाए लौटाया गया; चेक खो गया; धन की वापसी; पुनर्भुगतान; चेक का हस्ताक्षरकर्ता; वैधानिक नोटिस; वैधानिक अनुमान।

मामला निम्न से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 4171/2024
सीआरआर संख्या 619/2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के दिनांक 21.02.2024 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता:
पिनाकी एडी, सुश्री अर्पिता सिंह, चंद्रकांत सुकुमार सरकार, सी एम द्विवेदी, मैसर्स मुकेश कुमार सिंह एंड कंपनी प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता:
शादान फरासात, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष कुमार पांडे, हर्षित आनंद, वेदांत शर्मा, शादाब अज़हर, मयंक पांडे।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

वर्तमान अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ (एतस्मिनपश्चात् 'उच्च न्यायालय' के रूप में सन्दर्भित) द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 619/2020 (एतस्मिनपश्चात् 'आक्षेपित आदेश'¹ के रूप में सन्दर्भित) में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.02.2024 को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिका को अनुमति दी गई और पीठासीन अधिकारी/अतिरिक्त न्यायालय, कक्ष संख्या 5, लखनऊ (एतस्मिनपश्चात् 'विचारण न्यायालय' के रूप में सन्दर्भित) द्वारा पारित शिकायत मामला संख्या 6650/2012 में दिनांक 12.04.2019 के आदेश में प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ दर्ज अपराध और दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त किया गया, जिसे बाद में आपराधिक अपील संख्या 148/2019 में दिनांक 23.10.2020 के आदेश के तहत अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, लखनऊ लखनऊ (एतस्मिनपश्चात् 'अपीलीय न्यायालय' के रूप में सन्दर्भित) द्वारा बरकरार रखा गया।

तथ्य:

2. अपीलकर्ता शिकायत मामला संख्या 6650/2012 में शिकायतकर्ता है। उसने आरोप लगाया कि उसने प्रतिवादी संख्या 2 को 22,00,000/- (बाईस लाख) रुपए का ऋण इस आश्वासन पर दिया था कि पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। जब अपीलकर्ता ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से 22,00,000/- (बाईस लाख) रुपये की राशि का चेक संख्या 726716 दिनांक 17.03.2010 जारी कर दिया। अपीलकर्ता ने उक्त चेक को आईडीबीआई बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ में भुनाने के लिए प्रस्तुत किया। दिनांक 07.05.2010 को चेक 'आहर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया' के शीर्षक के साथ अनादरित कर दिया गया तथा रसीद सहित चेक वापस कर दिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने पैसे वापस पाने के लिए आरोपी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने न तो उससे मुलाकात की और न ही पैसे लौटाए। अपीलकर्ता ने दिनांक 18.05.2010 को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भेजा। हालाँकि, आरोपी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा एक शिकायत मामला दर्ज किया गया।

3. तथ्यों और उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर, विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.04.2019 के आदेश के तहत आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एतस्मिनपश्चात् 'अधिनियम' के रूप में सन्दर्भित) की धारा 138² के तहत अपराध करने का दोषी पाया और उसे 35,00,000/- रुपये

1 2024:AHC-LKO:15310

2 138. **खातों में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चेक का अनादरण**— जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करारक द्वारा उस खाते में से संदाय करने करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि [दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुमनि से, जो चेक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक—

(क) वह चेक उसके, लिखे जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो;

(ख) चेक का पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को, असंदत्त चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन] के भीतर, लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है; और

(ग) ऐसे चेक का लेखीवाल, चेक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक् अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(पैंतीस लाख रुपये) के जुर्माने के साथ एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया गया। यह आदेश दिया गया कि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) की राशि दी जाए। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया तथा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई।

4. आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे आक्षेपित आदेश के तहत अनुमति दी गई और अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 2 पर अधिरोपित दण्ड और दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया। ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी कही:

'शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि चेक वैध ऋण के भुगतान के लिए जारी किया गया था, विशेष रूप से तब जब शिकायतकर्ता अपने बैंक खाते का विवरण और दिनांक जब उसने प्रश्नगत राशि निकाली और संशोधनकर्ता को भुगतान किया, साथ ही वह तारीख जब उसने चेक प्राप्त किया, का खुलासा करने में विफल रहा है। इसलिए, शिकायतकर्ता के बयान में संदेह पैदा करने वाली स्पष्ट विसंगतियां हैं, इसलिए दोषसिद्धि और सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती।'

अपीलकर्ता की दलीलें:

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पिनाकी एडी ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन और पुनः विश्लेषण करके निचली अदालतों द्वारा दर्ज तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को उलटने में गलती की है। यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त की जिरह के दौरान यह स्वीकार किया गया कि चेक के खो जाने की सूचना पुलिस को 2011, अर्थात् अपीलकर्ता द्वारा 17.03.2010 को चेक प्रस्तुत किए जाने के काफी बाद में भेजी गई थी। उक्त सूचना दिनांक 12.03.2010 की है, जो साबित करती है कि यह दस्तावेज 2011 में तैयार किया गया था और पिछली तारीख का था। सूचना को कभी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एतस्मिनपश्चात 'एफआईआर' के रूप में सन्दर्भित) में परिवर्तित नहीं किया गया, इसलिए इसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है।

6. यह प्रस्तुत किया गया कि चेक अभियुक्त द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान में जारी किया गया था और इसलिए अधिनियम की धारा 118 के साथ धारा 139 के तहत अनुमान अपीलकर्ता के पक्ष में काम करेगा। सबूत पेश करने का भार अभियुक्त पर है और उसे संभावित बचाव प्रस्तुत करना होगा। किसी साक्ष्य के अभाव में, मात्र यह मौखिक कथन कि कोई ऋण नहीं था, इस अनुमान को खण्डित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, विशेषकर तब जब चेक पर हस्ताक्षर को अभियुक्त ने अपने साक्ष्य में स्वीकार कर लिया हो।

7. यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय और अपीलीय कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पर उचित रूप से विचार किया है और आरोपी द्वारा बताई गई कहानी पर अविश्वास किया है तथा अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे साबित माना है। अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों **बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार, (2019) 4 एससीसी 197; राजेश जैन बनाम अजय सिंह, (2023) 10 एससीसी 148; किशन राव बनाम शंकरगौड़ा, (2018) 8 एससीसी 165, और; उत्तम राम बनाम देविंदर सिंह हुडन, (2019) 10 एससीसी 287** पर अवलम्ब लिया। यह प्रार्थना की गई कि अपील को अनुमति दी जाए।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" से विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिवादी संख्या 2-आरोपी की दलीलें:

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शादान फरासत ने शुरू में दलील दी कि आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि से सही है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा 22,00,000/- (बाईस लाख रुपये) की निकासी का कोई सबूत रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पूरी कहानी काल्पनिक है और वह उन परिस्थितियों को साबित करने में असफल रहा है जिनमें चेक सौंपा गया था तथा पक्षों के बीच किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंधों के अस्तित्व को भी साबित करने में असफल रहा है।

9. यह प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता किसी भी साक्ष्य जैसे खाता बही, आयकर रिटर्न, धन उधार देने का लाइसेंस आदि प्रस्तुत न करने के कारण इतनी बड़ी राशि का ऋण देने की अपनी क्षमता साबित करने में भी विफल रहा। ऐसी परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता यह साबित करने में भी विफल रहा कि चेक कानूनी रूप से लागू ऋण के लिए जारी किया गया था और ऐसा ऋण चेक प्रस्तुत करने की तिथि पर अस्तित्व में था।

10. उनका तर्क था कि अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय कोर्ट को भी प्रतिवादी संख्या 2 की दो शिकायतों के अस्तित्व के बारे में गुमराह किया था और इस मुद्दे पर दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष गलत हैं। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने अपीलकर्ता को हस्ताक्षरित चेक कभी नहीं सौंपा और यह चेक सुल्तानपुर से रायबरेली जाते समय अठेहा बाजार में खो गया था और इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 12.03.2010 को पुलिस स्टेशन उदयपुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई गई थी।

11. यह उजागर करने के लिए कि अपीलकर्ता ने प्रकल्पित खंड को सक्रिय करने के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, **बीर सिंह** (उपरोक्त), **राजेश जैन** (उपरोक्त) और **दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1899** में निर्णयों पर अवलम्ब लिया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि किसी भी मामले में शिकायत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि चेक जारी करने वाले अर्थात् साझेदारी फर्म मेसर्स सन एंटरप्राइजेज को इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **जॉन के. जॉन बनाम टॉम वर्गीस, (2007) 12 एससीसी 714; कृष्णा जनार्दन भट बनाम दत्तात्रेय जी. हेगड़े, (2008) 4 एससीसी 54, और; जी. पंकजाक्षी अम्मा बनाम मथाई मैथ्यू (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि, (2004) 12 एससीसी 83** में दिए गए निर्णयों पर भी अवलम्ब लिया।

12. जबकि यह तर्क दिया गया कि अपील को पूर्वोक्त प्रस्तुतियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना खारिज कर दिया जाए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत अपराध समझौता योग्य है और आरोपी 58 वर्ष का है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह अपने 8 सदस्यों वाले परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, यदि इस न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो उसे केवल आर्थिक दंड दिया जा सकता है, और ऐसा भुगतान करने के लिए एक उचित समय-सीमा दी जानी चाहिए।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

13. हमने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों एवं वरिष्ठ अधिवक्तागणों को विस्तार से सुना है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. वर्तमान मामला तीन न्यायालयों से होकर इस न्यायालय तक आया है और यह चौथा न्यायालय है। प्रथम चरण में, साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त द्वारा देय कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण विद्यमान था; दोष/सजा का निष्कर्ष दिया, तथा प्रतिवादी संख्या 2 को एक वर्ष के साधारण कारावास और 35,00,000/- रुपए (पैंतीस लाख रुपए) के जुर्माने की सजा सुनाई। अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्षों को बरकरार रखा, जबकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को दोषमुक्त कर दिया।

15. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत कथित अपराधों से संबंधित मामलों में, शिकायतकर्ता को केवल यह साबित करना होगा कि चेक वास्तविक था, समय के भीतर प्रस्तुत किया गया था और इसके अनादरित होने पर, ऐसे अनादरित होने के 30 दिनों के भीतर उचित नोटिस भेजा गया था, जिसका पुनर्भुगतान 15 दिनों के भीतर प्राप्त होना चाहिए, ऐसा न करने पर शिकायतकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 142 (1) (बी) के तहत एक महीने के भीतर शिकायत की जा सकती है।

16. दूसरी ओर, अभियुक्त के लिए उपलब्ध सबसे प्रमुख बचाव यह है कि वह उस राशि का भुगतान करने के दायित्व से इनकार कर दे जिसके लिए चेक जारी किया गया था, इस आधार पर कि यह अधिनियम के तहत 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण' नहीं था।

17. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चेक पर हस्ताक्षर के संबंध में कोई इनकार नहीं किया गया है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह कहा गया है कि उक्त चेक खो गया था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बैंक को भुगतान रोकने की सलाह देने का यही कारण बताया गया, जिसके कारण संबंधित चेक का आदर/नकदीकरण नहीं किया गया। हालाँकि, संबंधित तिथियाँ कुछ और ही कहानी कहती हैं। दिनांक 17.03.2010 का चेक समय पर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 07.05.2010 को बिना भुनाए ही वापस कर दिया गया, इस पर 'आहर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया' लिखा हुआ था। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.05.2010 को, अर्थात् निर्धारित तीस दिन की अवधि के भीतर, चेक के अनादर के बारे में सूचित करते हुए, पंजीकृत डाक के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, यद्यपि इसका खंडन किया जा सकता है, कि उसके पास यह सिद्ध करने के लिए कोई स्थायी/वैध बचाव नहीं था कि प्रश्रुत चेक क्यों अनादरित किया गया। जैसा भी हो, प्रतिवादी संख्या 2 का कहना है कि कोई उत्तर नहीं भेजा गया क्योंकि उसे कोई कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था।

18. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उठाया गया बचाव यह था कि उसने पुलिस को चेक खो जाने की सूचना दी थी। हालांकि, उक्त दावे के सत्यापन पर यह बात सामने आई कि ऐसी सूचना/जानकारी पुलिस तक वर्ष 2011 में ही पहुंची, जबकि सूचना की तारीख 12.03.2010 थी। उल्लेखनीय है कि चेक 17.03.2010 को प्रस्तुत किया गया था। यह क्रम अपीलकर्ता के पक्ष में वैधानिक धारणा को मजबूत करता है, क्योंकि यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि 12.03.2010 को या उसके आसपास चेक खो जाने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने पुलिस को वर्ष 2011 में इसकी सूचना दी, और भी अधिक तब, जब इसमें शामिल राशि 22,00,000/- रुपये (बाईस लाख रुपये) की एक बड़ी राशि थी। यह ध्यान देने योग्य है कि जिरह के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया कि इस तरह की सूचना पुलिस को वर्ष 2011 में ही भेजी गई थी, लेकिन उसे कभी औपचारिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एफआईआर में परिवर्तित नहीं किया गया। जहां तक चेक खो जाने की कहानी का सवाल है, इससे अभियुक्त के दावों/बचाव की सत्यता के संबंध में गंभीर संदेह पैदा होता है।

19. अभियुक्त ने दावा किया है कि चेक मेसर्स सन एंटरप्राइजेज द्वारा जारी किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2- अभियुक्त उक्त भागीदारी फर्म में भागीदार था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2012) 5 एससीसी 661** की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहां अधिनियम की धारा 141 को देखते हुए न्यायालय ने अवधारित किया कि यदि अपराध करने वाला व्यक्ति एक 'कंपनी' है, तो 'कंपनी' को आरोपी के रूप में आरोपित किए बिना उसके 'निदेशक' के खिलाफ शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी। **अपर्णा ए शाह बनाम शेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2013) 8 एससीसी 71** के माध्यम से, यह अवधारित किया गया कि '...

अधिनियम की धारा 138 के तहत केवल चेक जारी करने वाले पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है। हमारा विचार है कि, प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, **सुनीता पलिता बनाम पंचमी स्टोन क्वारी, (2022) 10 एससीसी 152** में दिए गए निर्देश लागू होंगे:

“36. उच्च न्यायालय ने यह भी सही माना कि प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक निस्संदेह कंपनी के प्रभारी होंगे और प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में अपने पद के आधार पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार होते हैं और वे एनआई अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत आते हैं। चेक पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति एन.आई. अधिनियम की धारा 138/141 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उत्तरदायी होता है।

37. तथापि, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि इनमें से कोई भी अपीलकर्ता आरोपी कंपनी का प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक नहीं था। न ही वे उस चेक पर हस्ताक्षरकर्ता थे जो अनादरित हो गया था।

xxx

40. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन का फैसला करते समय, चेक अनादरण को रोकने और वाणिज्यिक लेनदेन की विश्वसनीयता को बनाए रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उक्त धाराओं को अधिनियमित किया गया। एन.आई. अधिनियम की धारा 138/141 के प्रावधानों के अनुसार, चेक पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की ओर से बेईमानी की वैधानिक धारणा बनती है, तथा जब चेक किसी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है, तो उस कंपनी या कंपनी के कारोबार के लिए जिम्मेदार या प्रभारी व्यक्ति की ओर से भी बेईमानी की धारणा बनती है। कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति एनआई अधिनियम की धारा 141 के दायरे में नहीं आता है।

xxx

42. दायित्व कंपनी के मामलों में व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर निर्भर करता है, न कि केवल पदनाम या स्थिति पर, जैसा कि इस न्यायालय ने एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

[एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला, (2005) 8 एस.सी.सी. 89: 2005 एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 1975] में अवधारित किया है। रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये अपीलकर्ता कंपनी के स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी निदेशक थे। जैसा कि इस न्यायालय ने पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 16 एससीसी 1: (2015) 3 एससीसी (सिविल) 384: (2015) 3 एससीसी (क्रि) 378] में अवधारित किया है, एक गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों या उसके व्यवसाय के संचालन में शामिल नहीं होता है। ऐसा निदेशक किसी भी तरह से आरोपी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा, जब कंपनी के किसी निदेशक के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है, जो कि अस्वीकृत चेक का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो शिकायत में दिए गए तर्क को प्रमाणित करने के लिए दलीलों में विशिष्ट कथन किए जाने चाहिए, कि ऐसा निदेशक कंपनी या कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था, जब तक कि ऐसा निदेशक नामित प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक न हो, जो स्पष्ट रूप से कंपनी और/या उसके व्यवसाय और मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

xxx

48. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, अपील को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश [अश्विनी कुमार सिंह बनाम पंचमी स्टोन क्वारी, 2019 एससीसी ऑनलाइन कैल 4491] को अपास्त किया जाता है। जहां तक इन अपीलकर्ताओं का संबंध है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय न्यायालय, सूरी, बीरभूम की अदालत में एनआई अधिनियम की धारा 138/141 के तहत लंबित आपराधिक मामला संख्या एसी/121/2017 को रद्द किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आपराधिक मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रह सकती है, जिसमें विशेष रूप से आरोपी कंपनी, उसके प्रबंध निदेशक/अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और/या संबंधित चेक के हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं।'

(प्रभाव वर्धित)

20. इसमें कोई संदेह नहीं है कि **सुनीता पलिता** (उपरोक्त) में 2 विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिया गया निर्णय, **अनिता हाड़ा** (उपरोक्त) में 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के प्रति निर्दोष है। हालाँकि, **सुनीता पलिता** (उपरोक्त) ने एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला, (2005) 8 एससीसी 89 का संज्ञान लिया है, जिसे 3-न्यायाधीशों की बेंच ने भी प्रस्तुत किया था, जिसे **अनीता हाड़ा** (उपरोक्त) में दोहराया गया था। इस प्रकार, इन निर्णयों का हमारा सामंजस्यपूर्ण अध्ययन हमें इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि चूंकि चेक पर हस्ताक्षरकर्ता को आरोपी बनाया गया है और वह प्रभारी व्यक्ति भी है, इसलिए अंतर्निहित शिकायत स्वीकार्य होगी। हमारे समक्ष भी कभी यह तर्क नहीं दिया गया कि आरोपी, जो मेसर्स सन एंटरप्राइजेज का साझेदार है, उसका प्रभारी व्यक्ति नहीं है।

21. प्रतिवादी संख्या 2 को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा भारी आधार पर विचार किया गया एक आधार यह था कि अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 को ऋण के रूप में दिए गए 22,00,000/- रुपये (बाईस लाख

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रुपये) के स्रोत को साबित करने में असमर्थ था। स्वीकार्य रूप से, चेक पर हस्ताक्षर प्रतिवादी नंबर 2 के ही हैं। रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2019) 18 एससीसी 106 में दिए गए निर्णय का लाभप्रद रूप से उल्लेख किया जा सकता है:

“18. वर्तमान मामले में, एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कथित रूप से अनुमान लगाने के बाद भी, विचारण न्यायालय ने आरोपी को ऋण देने के लिए धन के स्रोत के संबंध में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य की कमी और प्रासंगिक गवाहों की जांच की कमी पर सवाल उठाया, जिन्होंने कथित तौर पर आरोपी को अग्रिम राशि देने के लिए उसे धन मुहैया कराया था। विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण कानून में अनुमान के सिद्धांतों से अलग था। इस तरह के अनुमान के बाद, जिम्मेदारी आरोपी पर आ गई और जब तक आरोपी ने रिकॉर्ड पर ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ प्रस्तुत करके जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिससे यह पता चले कि संभावनाओं का बड़ा हिस्सा उसके पक्ष में है, तब तक शिकायतकर्ता के मामले पर कोई संदेह नहीं उठाया जा सकता था, क्योंकि अपीलकर्ता-आरोपी को ऋण देने के लिए धन के स्रोत के बारे में सबूतों की कमी थी। विचारणीय पहलू यह था कि क्या अपीलकर्ता-अभियुक्त ने ऐसे तथ्य/सामग्री/परिस्थितियाँ रिकार्ड पर लाई हैं जो उचित रूप से संभावित बचाव हो सकती हैं।

19. अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए अभियुक्त ने यह बचाव प्रस्तुत किया कि वास्तव में उसका धन संबंधी लेन-देन श्री जगदीशभाई के साथ हुआ था, न कि शिकायतकर्ता के साथ। अपीलकर्ता अभियुक्त की ऐसी दलील को देखते हुए, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता-अभियुक्त ने श्री जगदीशभाई के साथ किसी लेनदेन के अस्तित्व की उचित संभावना दर्शाई है? इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि जिरह में कुछ सुझाव देने के अलावा, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने प्राथमिक रूप से भी यह संतुष्ट करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि श्री जगदीशभाई के साथ उसका कोई मौद्रिक लेन-देन हुआ था। निःसन्देह, अपीलकर्ता के आरोपों में से एक यह है कि उक्त स्टाम्प पेपर श्री जगदीशभाई को दिया गया था और दूसरा तथ्य यह है कि श्री जगदीशभाई ने उक्त स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए थे, न कि शिकायतकर्ता ने।

xxx

20. हमने ऊपर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की विस्तार से जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से ऐसा मामला था जिसमें विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत था और दृष्टिकोण में मूलभूत त्रुटि थी; और उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटना उचित था। विचारण न्यायालय की यह टिप्पणियाँ कि ऋण देने के लिए प्रतिवादी के पास धन के स्रोत को दर्शाने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था, या प्रतिवादी ने कच्चे नोटों की प्राप्ति के रूप में भी लेन-देन को दर्ज नहीं किया था, या शिकायतकर्ता और उसके गवाह के बयान में असंगतियाँ थीं, या शिकायतकर्ता का गवाह तथ्यों से अधिक परिचित था, आदि प्रासंगिक होतीं यदि मामले की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जांच शिकायतकर्ता पर अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के दायित्व के संदर्भ में की जाती। ये विचार और टिप्पणियां एन.आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के आधार पर शिकायतकर्ता के पक्ष में विद्यमान धारणा के अनुरूप नहीं हैं। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की धारणा का परिणाम यह है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का अस्तित्व माना जाना चाहिए। जब ऐसी धारणा बनाई जाती है, तो रसीदों या खातों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य की कमी या धन के स्रोत के संबंध में साक्ष्य की कमी से संबंधित कारक प्रासंगिक विचार के नहीं होते हैं, जब यह जांच की जाती है कि अभियुक्त धारणा का खंडन करने में सक्षम है या नहीं। शिकायतकर्ता और गवाह के बयान में किसी प्रकार का अंतर होना; या चेकों की तारीखों और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी का अभाव; या शिकायतकर्ता का कार्यालय 8 वीं मंजिल पर होने के बावजूद बारिश में पहले के चेकों का बह जाना, आदि अन्य टिप्पणियां भी अपीलकर्ता के संभावित बचाव पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक कारक थे। इसी प्रकार, यह तथ्य कि शिकायतकर्ता ने ऋण राशि 22,50,000/- रुपये बताई है तथा सात चेक 3,00,000/- रुपये के हैं, जिससे 1,50,000/- रुपये का घाटा हुआ है, मामले में शामिल वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के लिए विचार करने योग्य भी नहीं है। हो सकता है कि यदि चेकों की कुल राशि कथित ऋण राशि से अधिक होती, तो थोड़ा संदेह उत्पन्न हो सकता था, लेकिन वर्तमान मामले में 7 चेकों की कुल राशि ऋण राशि से कम है। गौरतलब है कि ऋण की विशिष्ट राशि (22,50,000 रुपये) अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा दिनांक 21-3-2017 की उपरोक्त पावती में स्पष्ट रूप से बताई गई थी।'

(प्रभाव वर्धित)

22. उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण को अनुमति देते हुए प्राथमिक रूप से इस धारणा पर कार्यवाही की है कि शिकायतकर्ता के लिए यह अनिवार्य था कि वह साक्ष्य के आधार पर अपना मामला स्थापित करते हुए बैंक खाते का विवरण तथा अभियुक्त को दी गई उक्त राशि की निकासी की तारीख और समय और अभियुक्त को किए गए भुगतान की तारीख और समय, जिसमें चेक प्राप्त करने की तारीख और समय भी शामिल है, बताए, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है। यहां पर यह कहना उचित होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता पर की गई ऐसी धारणा गलत प्रतीत होती है। शिकायतकर्ता पर यह दायित्व नहीं है कि वह भुगतान करने की अपनी क्षमता/वित्तीय क्षमता को साबित करे, जिसके लिए कथित तौर पर उसके पक्ष में चेक जारी किया गया है। केवल तभी जब यह आपत्ति उठाई जाती है कि शिकायतकर्ता वित्तीय रूप से इतनी स्थिति में नहीं था कि वह उस राशि का भुगतान कर सके जिसे उसने अभियुक्त को ऋण के रूप में देने का दावा किया है, तभी शिकायतकर्ता को न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने के लिए ठोस सामग्री प्रस्तुत करनी होगी कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी और उसने वास्तव में प्रश्नगत राशि ऋण के रूप में दी थी। इस मामले में, अपीलकर्ता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था और जिरह में दोहराया था कि उसने फैजाबाद में बैंक से राशि निकाली थी (पेपरबुक में उसके बयान की टाइप की गई प्रति में गलती से इसे 'फिरोजाबाद' के रूप में उल्लेख किया गया है)। न्यायालय को ऐसे रुख को सरसरी तौर पर खारिज नहीं करना चाहिए था, खासकर तब जब प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ता के ऐसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रुख/बयान को खारिज/अस्वीकार करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, एक ओर, अपीलकर्ता द्वारा मुख्य परीक्षा और प्रति-परीक्षा दोनों में न्यायालय के समक्ष बैंक से धनराशि निकालकर अभियुक्त को देने के संबंध में दिए गए बयान पर विश्वास नहीं किया गया, जबकि अभियुक्त की ओर से यह तर्क स्वीकार कर लिया गया कि उसे किसी भी ऋण राशि का कोई भुगतान नहीं मिला है। **मेसर्स एसएस प्रोडक्शन बनाम टीआर पवित्रन प्रशांत, 2024 आईएनएससी 1059** मामले में हमारे निर्णय में, हमने यह राय व्यक्त की:

“8. आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं का तर्क यह था कि उक्त राशि फिल्म निर्माण के लिए दी गई थी और यह किसी ऋण की वापसी के रूप में नहीं थी, जो कि मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए एक संभावित बचाव हो सकता था, लेकिन उच्च न्यायालय ने सही रूप से यह विचार किया है कि इस बिंदु पर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे, जो कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं किए गए हैं। यहां रुकते हुए, न्यायालय केवल यह टिप्पणी करना चाहेगा कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलिय न्यायालय और विचारण न्यायालय का तर्क सही है। ऐसे मामले में संभावित बचाव के लिए केवल प्रतिवाद प्रस्तुत करने से शिकायतकर्ता पर दायित्व स्थानांतरित नहीं हो जाएगा, क्योंकि बचाव की दलील को मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए, जो वर्तमान मामलों में नहीं किया गया है। इसके अलावा, यदि यह मान भी लिया जाए कि शिकायतकर्ता ने खातों का विवरण और/या आयकर रिटर्न प्रस्तुत करके ऋण के रूप में याचिकाकर्ताओं को दिए गए धन का स्रोत साबित नहीं किया है, तो भी यह तथ्य इस कारण से ऐसे दावे को अस्वीकार नहीं करेगा कि चेक जारी किए जाने और याचिकाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने से इनकार नहीं किया गया है, और ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पता चले कि प्रतिवादी के पास प्रश्रुत राशि प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। इस संबंध में, हम **टेढ़ी सिंह बनाम नारायण दास महंत, (2022) 6 एससीसी 735** में दिए गए निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं:

“10. विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलिय अदालत ने नोट किया है कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले में शिकायतकर्ता को पहली बार में यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास क्षमता है। एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही सिविल मुकदमा नहीं है। उस समय, जब शिकायतकर्ता अपना साक्ष्य देता है, जब तक कि भेजे गए वैधानिक नोटिस के उत्तर नोटिस में यह मामला स्थापित नहीं किया जाता है कि शिकायतकर्ता के पास साधन नहीं थे, शिकायतकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह शुरू में यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसके पास वित्तीय क्षमता थी। इस हद तक, हमारे विचार में अदालतें उन लाइनों पर सही थीं। हालांकि, अभियुक्त को यह प्रदर्शित करने का अधिकार है कि किसी विशेष मामले में शिकायतकर्ता के पास क्षमता नहीं थी और इसलिए, अभियुक्त का मामला स्वीकार्य है, जो वह स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत करके, अर्थात् अपने गवाहों की जांच करके और दस्तावेज प्रस्तुत करके कर सकता है। वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री की ओर इशारा करके भी उसी पहलू को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शिकायतकर्ता के गवाहों की जिरह के माध्यम से इस परिणाम को प्राप्त कर सकता है। अंततः, यह न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है कि वे साक्ष्य की समग्रता पर ध्यानपूर्वक विचार करें और उसका मूल्यांकन करें तथा फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि क्या दिए गए मामले में, अभियुक्त ने यह दर्शाया है कि शिकायतकर्ता का मामला इस कारण से खतरे में है क्योंकि अभियुक्त ने संभावित बचाव स्थापित किया है।”

(प्रभाव वर्धित)'

(मूल में रेखांकित; बोलड में हमारे द्वारा प्रभाव वर्धित किया गया है)

23. वर्तमान मामले में, मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र अवलोकन के आधार पर, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता अपना मामला साबित करने में सफल रहा तथा विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और परिणामी सजा के समवर्ती निष्कर्षों को पलटने में त्रुटि की।

24. तदनुसार, उपरोक्त कारणों से, अपील को अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। यद्यपि स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि प्रतिवादी संख्या 2 पर अधिरोपित दण्ड और दोषसिद्धि, अर्थात् एक वर्ष का साधारण कारावास और 35,00,000/- रुपये (पैंतीस लाख रुपये) का जुर्माने को बहाल किया जाएगा, लेकिन आरोपी/प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अंतिम समय में दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसकी आयु को देखते हुए, उसे केवल जुर्माना लगाया जाना चाहिए, कारावास नहीं, हम दण्ड को संशोधित करके केवल 32,00,000/- रुपये (बत्तीस लाख रुपये) तक सीमित जुर्माना अदा करने के लिए इच्छुक हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, ऐसा जुर्माना आज से चार महीने के भीतर अपीलकर्ता को अदा किया जाए, अन्यथा, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई और अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई पूरी सजा बहाल हो जाएगी, साथ ही यह संशोधन भी किया जाएगा कि 35,00,000/- रुपये (पैंतीस लाख रुपये) का पूरा जुर्माना अपीलकर्ता को देय होगा।

25. पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है। आई.ए. संख्या 99358/2024 (आधिकारिक अनुवाद दाखिल करने से छूट) की अनुमति है। आई.ए. संख्या 234705/2024 (अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए) को अनुमति दी जाती है; अनुलग्नक ए-1 (आवेदन/तहरीर) को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति दी गई।

हेडनोट्स दिव्या पांडे द्वारा तैयार किए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।